फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बड़गॉव, उदयपुर

प्रार्थीः— लक्ष्मणसिंह विपक्षीः— चम्पासिंह

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः— 44 / 19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	11.12.19 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन कि मौजा झिण्डोली पटवार क्षेत्र रामा तहसील बड़गॉव की आराजी संख्या 1735, 1737मी., 1738 से 1741, 1770, 1771 व 2286 / 1772 कुल किता 9 रकबा 0.6480 हैक्टर भूमि मूल पुरूष लाडुसिंह जी की थी जिनके स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि चम्पासिंह एवं मोहनसिंह के नाम पर दर्ज हुई। जो कि प्रार्थी एवं विपक्षी की मौरूसी भूमि है जिसमें प्रार्थी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का जन्म से हित व अधिकार निहित हैं। प्रार्थी संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य है जिससे उक्त भूमि को एवं उसके किसी भाग को विक्रय करने का अधिकार विपक्षी को नहीं हैं। लाडुसिंह का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त भूमि विपक्षी श्री चम्पासिंह के खाते में आई है जिसमें प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का भी नाम दर्ज होना चाहिये था, परन्तु दर्ज नहीं हुआ इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने का अधिकारी हैं। विपक्षी भू माफियाओ के बहकावे में आकर व उनसे मिलकर भूमि को अन्य लोगो को हस्तान्तरित करने एवं विक्रय करने पर तुला हुआ है, जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं हैं क्योंकि उक्त भूमि विपक्षी की व्यक्तिगत भूमि नहीं है बल्कि मौरूसी भूमि है जिससे भूमि या उसके किसी भाग को किसी प्रकार से हस्तान्तरण एवं विक्रय करने का अधिकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावें कि उक्त भूमि या उसके किसी भाग को बिना विधिक विभाजन कराये किसी व्यक्ति को रहन, बैह बक्षीस नहीं करें, ना ही हस्तान्तरित करें तथा ना ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ही उत्पन्न करें। जब तक प्रार्थी एवं विपक्षी तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मध्य बंटवाड़ा नहीं हो जाये तब तक विपक्षी को उक्त भूमि या उसके किसी भाग को विक्रय करने का अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी के हक में विपक्षी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो विपक्षी द्वारा उक्त भूमि या उसके भाग को अन्य लोगो को विक्रय कर दिया गया या हस्तान्तरित कर दिया गया तो उक्त भूमि में प्रार्थी के जो हित व अधिकार है वह समाप्त हो जावेंगे जिससे प्रार्थी को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी जिसका एवजाना रूपयो में आंका जाना सम्भव नहीं होगा ना ही उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमावें कि वह उक्त वर्णित भूमि या उसके किसी भाग को बिना विधिक विभाजन कराये रहन, बैह, बक्षीस नहीं करें तथा ना ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ही करें। उक्त कार्य ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मुझ विपक्षी के नाम पर दर्ज होकर विपक्षी उक्त जमीन का एकमात्र मालिक काबिज है जिसमे प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का कोई हित व अधिकार निहित नहीं हैं। उक्त भूमि विपक्षी के नाम	

पर आने के बाद विपक्षी का ही कब्जा चला आ रहा है एवं जमीन का उपयोग उपभोग भी विपक्षी द्वारा ही किया जा रहा हैं। उक्त भूमि पर काश्त भी विपक्षी द्वारा ही की जा रही हैं। लाडुसिंह जी के स्वर्गवास के बाद उक्त जमीन विपक्षी के नाम से आयी हैं। जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक का उक्त जमीन पर कोई हिताधिकार नहीं है। उनको किसी प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा मन मकसुद तरीके से झुठे तथ्य अंकन कर वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार विपक्षी होने से विपक्षी को उपयोग उपभोग, हस्तान्तरण, विक्रय करने का पूरा पुरा अधिकार प्राप्त है। अतः विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर यह पाया गया कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात 1735, 1737मी., 1738 से 1741, 1770, 1771 व 2286/1772 कुल किता 9 रकबा 0.6480 हैक्टर भूमि एवं इसके अतिरिक्त अन्य भुमि भी प्रार्थी की मौरूसी भुमि होकर पुर्व में प्रार्थी के दादा श्री लाडुसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जो लाडुसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रो श्री चम्पासिंह एवं मोहनसिंह के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात श्री चम्पासिंह के नाम दर्ज हैं। जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 के पिता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नकल के अवलोकन से यह भी जाहीर आया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद वर्णित भूमि में से कुछ हिस्सा अन्य दीगर व्यक्तियो को विक्रय किया गया हैं। जिससे प्रार्थी द्वारा अपने पिता को उक्त मौरूसी भूमि को विक्रय करने से रोकने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया हैं।

न्यायालय का निष्कर्ष है कि विपक्षी संख्या 1 जो कि प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का पिता है को, उक्त मौरूसी भूमि जो विपक्षी संख्या 1 को अपने पिता से विरासत से प्राप्त हुई है का सम्पूर्ण हिस्सा बेचने का अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का जन्म से ही उक्त वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा निहित होकर प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के हिस्से की भूमि को विक्रय करने का विपक्षी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि मौरूसी होकर पिता के जीवित रहते, प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम पर वर्तमान में दर्ज रिकार्ड नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 भूमि को विक्रय करने पर आमादा होने से प्रार्थी द्वारा भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि को विक्रय कर दिये जाने की स्थिति में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढने की सम्भावना स्पष्ट जाहीर होती हैं। जिससे मुल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भुमि बाबत् रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं। मौजा झिण्डोली पटवार क्षेत्र रामा तहसील बड़गॉव की आराजी संख्या 1735, 1737मी., 1738 से 1741, 1770, 1771 व 2286/1772 कुल किता 9 रकबा 0.6480 हैक्टर भूमि पर विपक्षी को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डॉ. मंजु (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बड़गॉव, उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.15 12:35:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: